

In The Court of Sub-Judge II, Patna City
T.P.S. 187/15 (CS 79/15)

19/11/25

- उपर्युक्त की हजती नहीं है, अफिलेक का अपलोकेन
किया। अपलोकेन से विदित होता है कि वादी किताब
की तिथियों से अनुपस्थित आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता
है कि वादी को वाद में कोई अहमियत नहीं है।
अतः वादी का वाद अहम फंजी में स्वीपिंग
किया जाता है। काफ़ी नियमावली अफिलेक अफिलेकागार
में जमा की

S-J
Patna City